डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

No. 2024/HQ/Admin/RTI-16 **New Delhi: 31.01.2024**

विदया देवी
निवासी -सराय गढ़ी नई आबादी बाई
पास रोड सासनी गेट अलीगढ उत्तर प्रदेश
मोबाइल - 9990688822

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 27.12.2023, जो इस कार्यालय में दिनांक 02.01.2024 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त अतिरिक्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

श्री गौरव शर्मा
महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
चतुर्थ मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 03 पृष्ठ

(एस. के. पण्डा)
संयुक्त महाप्रबंधक /प्रशा. (ज. सू. अ.)
9717636811

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का एक उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

स0–टुण्डला / मा0स0 / आरटीआई–15 / 2024 दिनांक–27.01.2024

संयुक्त महाप्रबंधक / प्रशासन
जन सूचना अधिकारी
डीएफसीसीआईएल
कारपोरेट कार्यालय
नई दिल्ली

विषय– श्रीमती विद्या देवी पत्नी स्व0 हरी शंकर का आवेदन (जनसूचना अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत) दिनांक–27.12.2023।

विद्या देवी पत्नी स्व0 हरी शंकर का आवेदन दिनांक–27.12.2023 (जनसूचना अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत) का उत्तर आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न का भेजा जा रहा है।

27/01/2024
(दिनेश दयाल शर्मा)
कनिष्ठ परियोजना प्रबंधक / मा0 संसाधन
डीएफसीसीआईएल / टुण्डला

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

प्रतिलिपि– सूचनार्थ–
1–महाप्रबंधक समन्वय / टुण्डला
2–महाप्रबंधक / सिविल / टुण्डला

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
(DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED)
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

No. Dy.CPM/Engg./Y-24/M-01/RTI/Letter **Dated-20.01.2024.**

सेवा में,

श्रीमान मुख्य महाप्रबन्धक,
डी.एफ.सी.सी.आई.एल., दुण्डला।

विषय :– जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना हेतु।

संदर्भ :– (i) श्रीमती विद्या देवी वेवा स्वर्गीय श्री हरिशंकर, निवासी–सराय गढ़ी नई आबादी बाई पास रोड सासनी गेट, अलीगढ़ का प्रार्थना पत्र दिनाँक–27.12.2023 प्राप्त दिनाँक–02.01.2024 सं0–320969.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में श्रीमती विद्या देवी वेवा स्वर्गीय श्री हरिशंकर द्वारा मांगी गयी सूचना निम्न प्रकार है :–

गाटा संख्या–133, 1387, 138 ग्राम–रूस्तमपुर सकता खॉ, तहसील व परगना–कोल, जिला– अलीगढ़ की भूमि डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर ऑफ इण्डिया लिमिटेड भारत सरकार रेल मंत्रालय द्वारा अधिग्रहीत की गयी थी उपरोक्त गाटा संख्या में संजय कुमार पुत्र श्री तेजपाल निवासी दुर्गा बिहार कालौनी निकट पंचनगरी जनपद अलीगढ सहखातेदार थे। संजय कुमार पुत्र तेजपाल ने दिनॉक–28.04.2008 को 400 वर्ग गज का प्लॉट अजान सिंह पुत्र किरत राम, दिनाँक–27.10.2009 को 300 वर्ग गज का प्लॉट विसंबर दयाल पुत्र श्री नत्थू सिंह, दिनॉक–27.10.2009 को 400 वर्ग गज का प्लॉट चंद्रवती पत्नी मुकेश कुमार, दिनॉक–29.12.2010 को 500 वर्ग गज का प्लॉट सीना यादव पत्नी जी.पी. यादव के पक्ष मे विक्रय किये थे। उपरोक्त सभी वैनामा धारकों को अधिग्रहीत किये गये प्लॉटों का आज तक कोई प्रतिकर क्यू नहीं दिया गया है कारण बताने का कष्ट करें।	श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय, कोल की आख्या दिनाँक–23.11.2012 के अनुसार गाटा संख्या–133 रेल परियोजना में प्रभावित नहीं है। तथा गाटा संख्या–137 में से 0.1300 हे0, गाटा संख्या–138 में से रकवा–0. 2160 हे0 भूमि अर्जित है। मौके पर उक्त गाटों में प्लॉटिंग हो चुकी है प्लॉटधारक मौके पर काबिज न होने तथा प्लॉटिंग का नक्शा उपलब्ध न कराने के कारण स्थिति स्पष्ट न होने के कारण प्रतिकर का भुगतान सक्षम प्राधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0) अलीगढ़ द्वारा नहीं किया गया है।

श्रीमान महाप्रबन्धक (समन्वय), दुण्डला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में हमने प्रभावित पक्ष से चर्चा करने के लिए सम्पर्क किया था, लेकिन काश्तकार/पीएपी मौके पर नहीं मिले, लिये आर.टी.आई के निस्तारण के लिये इस कार्यालय द्वारा श्रीमान विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (रा0सं0), अलीगढ़ को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपजिलाधिकारी, कोल अलीगढ़ को पत्र प्रेषित करने के लिये पत्र दिया गया है।

तद्नुसार सूचना सादर प्रेषित है।

संलग्नक :– श्रीमान उपजिलाधिकारी, कोल की आख्या दिनाँक–23.11.2012.

Ashutosh

परियोजना प्रबन्धक/इंजी0,
डी.एफ.सी.सी.आई.एल. न्यू दाऊद खॉं।

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
(DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED)
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

No. Dy.CPM/Engg./Y-24/M-01/RTI/Letter

Dated-13.01.2024.

सेवा में,

श्रीमान सक्षम प्राधिकारी / विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
(सं0सं0) अलीगढ़।

विषय :– ग्राम–रूस्तमपुर सकत खाँ, तहसील–कोल, जिला–अलीगढ़ के गाटा संख्या–137 व 138 की रिपोर्ट / आख्या के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– (i) श्रीमती विद्या देवी बेवा स्वर्गीय श्री हरिशंकर, निवासी–सराय गढ़ी नई आबादी बाई पास रोड सासनी गेट, अलीगढ़ का प्रार्थना पत्र दिनाँक–27.12.2023 प्राप्त दिनाँक–02.01.2024 सं0–320968 व 320969.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में श्रीमती विद्या देवी बेवा स्वर्गीय श्री हरिशंकर, निवासी सराय गढ़ी नई आबादी बाई पास रोड, सासनी गेट, अलीगढ़ द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा ग्राम–रूस्तमपुर सकत खाँ, परगना व तहसील–कोल, जिला–अलीगढ़ के गाटा संख्या–137, 138 में उपरोक्त प्लॉटधारियों को प्रतिकर भुगतान किये जाने हेतु सूचना मांगी गयी है, (छाया प्रति संलग्न)। यह कि श्रीमान उपजिलाधिकारी, कोल की आख्या दिनाँक–23.11.2012 के आधार पर उपरोक्त प्लॉटधारियों को उनके प्लॉट का भुगतान किया जाना सम्भव नही हो पा रहा है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है, कि श्रीमान उपजिलाधिकारी, कोल को सम्बन्धित प्लॉटधारियों की आख्या के लिये पत्र भेजे जाने का कृपा करें, जिससे कि गाटा संख्या–137 व 138 में से सम्बन्धित प्लॉटस्वामियों को उनके प्लॉट का प्रतिकर भुगतान किया जा सकें।

धन्यवाद।

संलग्नक :– श्रीमान उपजिलाधिकारी, कोल की आख्या दिनाँक–23.11.2012.

परियोजना प्रबन्धक / इंजी0,
डी.एफ.सी.सी.आई.एल., न्यू दाऊद खाँ।